राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

वर्ष 2018– 19 के लिए ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु निविदा

मुद्रणालय को वर्ष 2018–19 की (अनुबंध तिथि से एक 31.03.2019) अवधि के लिए ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी फर्मो से ऑनलाईन ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा टू बिड् पद्वति से निविदा दिनांक 25.05.2018 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से ऑनलाईन बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मूल प्रपत्र, बिड्स शर्तो (परिशिष्ट ''अ'' से ''स'') का मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। इन्हे बिडर द्वारा वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाना है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 30.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की ''वित्तीय बिड'' को ही खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। ***बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/नकद के माध्यम से जमा/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, आदि तरीको से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं, द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयुपर के पक्ष में जमा करानी होगी।*** राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि ***मुद्रणालय में पूर्व वर्णित तरीको से किसी एक द्वारा*** मुद्रणालय के पक्ष में जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सामग्री के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा। अन्य कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उक्त सबंध में संस्था के महाप्रबंधक श्री सुनील दत्त शर्मा फोन 0141–2751417 एवं ई–मेल : raj_coop_press@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2019 तक होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

प्रबन्ध निदेशक

प्रपत्र ''अ''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

वर्ष 2018– 19 के लिए ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु निविदा प्रपत्र प्रथम ''तकनीकी निविदा''

बिड प्रपत्र मूल्य रू. 1000/– द्वारा डी.डी. सं0 .... दिनांक ....

2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 25.05.2018 को सायं 5.00 बजे तक

3. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 30.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे

4 बिड का अनुमानित मूल्य 15.00 लाख रू0

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता..

....

बोलीदाता फर्म का कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता ....

....

फोन नं. ....ई–मेल ....मोबाइल नं. ....

1. बिड प्राप्तकर्त्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत 15.00 लाख रू0 का 2% (30 हजार रू0)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण ....
2 (i) (ii)	बोली प्रतिभूति राशि में लद्यु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लद्यु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ है। इस प्रकार की ईकाई बिड सूचना में बताई गई अनुबन्ध राशि का आधा प्रतिशत (7,500 रूपये) मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है। उद्योग विभाग से जारी लद्यु उद्योग इकाई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या .... एव दिनांक	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण ....
3	प्रोसेसिंग फीस (MD, RISL) के नाम देय डीडी का विवरण (रूपये एक हजार मात्र)	डी. डी. संख्या दिनाक
4	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं अंतिम तिमाही की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति संलग्न है।	जी.एस.टी.नं.
7	बेलीदाता के पैन पंजीकरण एवं कर निर्धारण वर्ष 2017–18 की आई.टी.आर. की प्रति संलग्न है।	पैन नं.
8	बिड के साथ ओ.एम.आर. प्रिन्टिगं व बार कोड नम्बरिंग का प्रिन्टेड नमूना जिन पर अपनी मोहर लगी है, भौतिक रूप से मुद्रणालय में प्रस्तुत करने हेतु संलग्न करें।	

9	जी.एस.टी. की निर्धारित दर	
10	स्थापित यंत्रों का विवरण संलग्न है (वी.डी.पी. उपकरण सहित)।	
11	गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष में 5 लाख रूपये के औसत वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण–पत्र (उत्पादन खाता/ट्रेडिंग अकाउन्ट की सनदी लेखाकार से अकेक्षित प्रतियाँ)	
12	सनदी लेखाकार से Positive Net Worth का प्रमाण पत्र	
13	गत तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष मे 5 लाख रूपये की लागत के ओ.एम.आर. तथा बार कोड नम्बरिंग प्रिन्टिग के कार्य के अनुभव के प्रमाण संबंधी दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों का विवरण

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

नोट :– तकनीकी निविदा (प्रपत्र'अ') वेबसाईट eproc. rajasthan.gov.in पर सम्बधित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई PDF Format में Cover 1 में अपलोड करनी होगी।

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त निविदा संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :–

(1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।

(2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

(3) यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) यह कि विगत 3 वर्षो में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये है।

(5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तो/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।

(6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तो से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता

दिनांक : ....

स्थान : ....

नाम..

पद..

पता..

....

मो0नं0..

प्रपत्र ''ब''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302017
फोन नं. 0141–2751417, 2751352

वित्तीय निविदा

वर्ष 2018– 19 के लिए ओ.एम.आर. (**OMR**) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु निविदा प्रपत्र ''वित्तीय निविदा''

1. बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता..

....

....

2. मुद्रणालय को वर्ष 2018–19 की अवधि में ओ.एम.आर. एवं बार कोड प्रिन्टिग हेतु हमारे द्वारा निविदा में BOQ के अनुसार दरें प्रस्तुत है।
3. बिड प्रपत्र के साथ निविदा एवं संविदा की जो शर्ते संलग्न है, हमें स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट :– वित्तीय बिड (प्रपत्र'ब') वेबसाईट eproc. rajasthan.gov.in पर दिये गये फॉरमेट में Cover 2 में स्वीकृत अथवा कम दरों पर ओ.एम.आर. एवं बार कोड प्रिन्टिग करने का सहमति प्रस्ताव प्रस्तावित करना है।

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी–1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

वर्ष 2018– 19 के लिए ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तें

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए। बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढा जावें। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नही होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

1. वर्ष 2018–19 की (अनुबंध तिथि से 31.03.2019 तक) अवधि के लिये मुद्रणालय को ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग के कार्य हेतु प्रतिष्ठित मिलो / फर्मो / विक्रेताओं / निर्माताओं से आनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट प्रक्रिया के तहत टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) हस्ताक्षरयुक्त वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिनांक 25.05.2018 को सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र ''अ'' में तकनीकी एवं अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र ''ब'' में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी।
2. विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को दिनांक 30.05.2018 प्रातः 11.00 बजे खोला जावेगा। तकनीकी निविदा में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
4. विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा केवल उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिये, जो इस कार्य के अनुभवी हो, जिसके लिए निविदा दी है।
6. आपूर्ति किये जाने वाला माल मुद्रणालय द्वारा निर्धारित विवरणों के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सैम्पल से मिलता हुआ होना चाहिये, अन्यथा स्वीकार नही किया जायेगा। ओ.एम.आर. मुद्रण / बार कोडिंग नम्बरिंग हेतु कागज मुद्रणालय द्वारा दिया जायेगा। जिसका पूर्ण हिसाब फर्म को देना होगा।
7. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नही करेगा।
8. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता / मेक आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रहेगी।
9. बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला का पूर्ण पता मुद्रणालय को देना होगा, ताकि संस्था द्वारा निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
10. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसको बिना अतिरिक्त मूल्य एवं प्रभार के एक निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलना होगा।
11. सभी दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर होगी, जिसके लिए कोई कार्टेज व अन्य किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
12. निविदा देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल सप्लाई करने के लिए बाध्य होगी।
13. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
14. निविदा में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराईटिंग नहीं की जानी चाहिए।
15. बोलीदाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करना होगा जो अनुबंध का भाग होगा।

16. तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत या लघु उद्योग इकाई के मामले में आधा प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/नकद के माध्यम से जमा/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, आदि तरीको से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं, द्वारा ''राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयुपर'' के पक्ष में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजित किया जावेगा।

17. पूर्व में मुद्रणालय में जमा धरोहर/सिक्यूरिटी राशि का निविदा के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।

18. राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग ईकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति अथवा स्वप्रमाणित फोटो प्रति बिड के साथ संलग्न करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में डीडी या बिन्दु संख्या 15 में वर्णित किसी तरीके से जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

19. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता को वहन करना पडेगा। मुद्रणालय को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

20. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।

21. यदि अनुमोदित फर्म निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति निविदादाता फर्म से की जावेगी।

मुद्रणालय अनुमोदित फर्म के लिए सप्लाई नहीं किये गये या अनापुरित सामग्री या आपुरित सामग्री में शिकायत होने की स्थिति में लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित वितरक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित वितरक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय द्वारा अधिक व्यय वहन करना पडेगा, वह उसकी सिक्यूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।

21\. 1. सामग्री/माल निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भाला जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पडेगा।

2. सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

4. बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निविदा को स्वीकृत करने के लिए किये गये प्रयास को अयोग्यता माना जावेगा।

22. मुद्रणालय किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा/निविदा के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।

23. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म जी.एस.टी. पंजीयन एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।

24. सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर निम्नानुसार Penatly लगाई जावेगीः–

(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए;	*2.5%*
(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए;	*5%*
(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए;	*7.5%*
(घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए;	*10%*

25. फर्म को पंजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप निम्नानुसार हैः–

एस.आर प्रारूप – 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

26. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

27. प्रस्तुत दरो में जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा।

28. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।

29. निविदा अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से 31.03.2019 लिये मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा, एवं मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

30. अनुबंधकर्ता बिडर को आयकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

31. दरों में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दो वाली दर सही मानी जावेगी।

32. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।

33. मुद्रणालय के राजस्थान लोक उपापन में पारिदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दर्शाये गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।

34. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

35. बोलीदाता या बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को समस्त बोली दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना होगा एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में उनके पक्ष में बोलीदाता द्वारा जारी अधिकृति पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा बिड पर विचार नही किया जावेगा।

36. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।

37. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्य सभी संगत प्रावधान लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त निविदा शर्ते पूर्ण रूप से पढ़ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता फर्म के मय मोहर